



2026:AHC-LKO:20739

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ

प्रार्थना पत्र धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संख्या – 771 वर्ष
2026

संजीव श्रीवास्तव

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, माध्यम से प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ एवम् अन्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : सुनील कुमार मिश्र, अतुल कुमार चौहान,
केदार यति, श्रुति वर्मा
विपक्षी की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

आवेदक की ओर से आज प्रस्तुत पूरक शपथपत्र अभिलेख पर ग्रहण किया जाता है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

यह प्रार्थना पत्र धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित निवेदनों के साथ प्रस्तुत किया गया है—

“ (i) दिनांक 09.06.2025 का आक्षेपित आरोप पत्र संख्या 01, जो कि माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, बाराबंकी द्वारा सत्र वाद संख्या 6835 वर्ष 2025, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अमरजीत एवं अन्य, अपराध संख्या 60 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 66ई सूचना प्रौद्योगिकी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(संशोधन) अधिनियम, थाना लोनिकटरा, जनपद बाराबंकी में पारित किया गया है तथा जो इस प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट संख्या 1 में संलग्न है, निरस्त किया जाए।

(ii) दिनांक 23.09.2025 का संज्ञान एवं समन आदेश, जो कि माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, बाराबंकी द्वारा (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अमरजीत एवं अन्य), अपराध संख्या 60 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 66ई सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, थाना लोनिकटरा, जनपद बाराबंकी में पारित किया गया है तथा जो इस प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट संख्या 2 में संलग्न है, निरस्त किया जाए।

(iii) सत्र वाद संख्या 6835 वर्ष 2025, (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अमरजीत एवं अन्य) अपराध संख्या 60 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 66ई सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, थाना लोनिकटरा, जनपद बाराबंकी, जो कि माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, बाराबंकी के समक्ष लंबित है, की समस्त कार्यवाही निरस्त की जाए।”

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे वर्तमान प्रकरण में असत्य एवं निराधार आरोपों के आधार पर झूठा फंसाया गया है। आवेदक द्वारा कथित अपराध कारित नहीं किया गया है। यह भी निवेदन किया गया कि आवेदक ने अभी तक जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रथमदृष्टया आवेदक के विरुद्ध अपराध स्थापित होता है। यह भी निवेदन किया गया कि यह विवादित तथ्यात्मक प्रश्न हैं, जिनका निर्णय केवल साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के उपरांत ही संभव है। उन्होंने आगे यह भी प्रतिवाद किया कि यह वह अवस्था नहीं है जहाँ साक्ष्यों का सूक्ष्म एवं छिद्रान्वेषी परीक्षण किया जा सके तथा आरोपों की सत्यता का परीक्षण केवल आपराधिक

विचारण के दौरान ही संभव है, अतः यह प्रार्थना पत्र त्रुटिपूर्ण है एवं निरस्त किए जाने योग्य है।

इस अवस्था पर, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि वे इस प्रार्थना पत्र को आगे नहीं बढ़ाना चाहते तथा उन्हें यह स्वतंत्रता प्रदान की जाए कि वे विचारण न्यायालय के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकें, जिसका निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार किया जाए, जैसा कि वाद सतेंद्र कुमार अंटिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 एस.सी.सी. 51 में निर्धारित है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को उक्त निवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है।

पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के उपरान्त यह उपबंधित किया जाता है कि यदि आवेदक आज से दो सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है, तो उसका निस्तारण सतेंद्र कुमार अंटिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य (उपरोक्त) में प्रतिपादित विधि के अनुसार शीघ्रतापूर्वक किया जाएगा।

अग्रेतर, आवेदक को उपयुक्त अवस्था पर उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अवसर भी प्राप्त होगा, जिसमें वह उपलब्ध समस्त तथ्यात्मक एवं विधिक आधारों को प्रस्तुत कर सकेगा। यदि ऐसा प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार कारणयुक्त एवं स्पष्ट आदेश पारित करते हुए उसका निस्तारण करेगा।

अतएव, प्रार्थना पत्र का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

23 मार्च, 2026

राम मूर्ति